country is subject to continuing review by the Reserve Bank of India (RBI). The opening of new branches of nationalised banks in rural and urban areas is governed by the Branch Licensing Policy formulated by RBI from time to time, and such policy is modified to meet the felt banking needs of the people and the objectives of the Government. The banks' lending to the Priority Sector is regularly reviewed by the concerned Boards of Directors of the banks, by RBI and by Government. The measures taken for banks' security and prevention of banking frauds are also reviewed periolically. The banks are also inspected by the RBI and by firms *of Chartered Accountants as well as by the internal vigilance machinery of the banks. Steps are taken wherever required to correct any lacunae in the functioning of the banks that emerge from these reviews.

Denial of maximum limit of rent charges to Officers of Nationalised Banks

2674. SHRI DIGVIJAY SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the officers of the nationalised banks are being denied the maximum limit of the rent charges to which they are entitled in cases of renewal of lease for the old premises in their occupation;

(b) whether it is also a fact that these officers can avail of the same limit for hiring the new premises for their residential use; and

(c) if so, what are the reasons there for any by when this disparity is being removed?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) to (c) The Indian Banks' Association has reported that in terms of Service Regulations applicable to officer in banks, revised with effect from 1.11.87, House Rent Allowance (HRA) is paid to officers, not provided with bank's accommodation, at specified rates subject to laid down ceilings. The House Rent Allowance payable to officers is without reference to rent actually paid by the officers. The officers may opt to claim HRA with reference to rent actually paid *i.e.* on production of rent receipt for which higher ceilings have been fixed. As such, officers who stay in old premises for which the rentals are low are paid HRA, irrespective of without reference to rentals actually paid by them.

माल का आयात

2675. **श्री राम नरेश यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जहां से सरकार ने जनवरी, 1990 से जुलाई, 1990 के दौरान माल आयात करने का फैसला किया है और कितने मूल्य का माल आयात किए जाने की संभावना है)

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य के माल का आयात किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या आयात में कमी करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख). व्यापार यात्राओं के अन्तर्गत रुपया अदायगी क्षेत्र के देशों के साथ आयात के अतिरिक्त अन्य कोई देशवार आयात योजना नहीं बनाई जाती है । व्यापार यात्राओं में केवल निदेशात्मक लक्ष्यों का उल्लेख किया जाता है । आयात नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों दोनों ही पक्षों द्वारा वास्तविक आयात किये जाते हैं । इसलिए, आयातों के सुनिश्चित आंकड़े निर्दिष्ट करना व्यवहार्य नहीं है ।

(ग) सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने संबंधी पहले से ही अनेक उपाय किये हैं। इनमें अनिवार्य पूंजीगत माल को मुक्त सामान्य लाइसेंस से लाइसेंस की श्रेणी में परिवर्तित करना, चुने हुए क्षेत्रों की आवश्यकता के लिए कच्ची सामग्रियों और संघटकों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने में छूट देना, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का कठोरता से पालन करना और आयात संबंधी आवश्यकताओं आदि को पूरा करने के लिए आर.ई.पी. लाइसेंस के उपयोग पर अधिकाधिक बल देना शामिल है।

गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र के कचरे का प्रसंस्करण

2676. **श्री राम अवधेश सिंह : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात संयंत्र में प्रतिवर्ष इस्पात का कितना उत्पादन होता है और वहां कितना मशिया कचरा बचता है भिलाई इस्पात संयंत्र के स्क्रैप और सप्लाई विभाग तथा फेरो स्क्रैप निगम द्वारा कितने टन कचरे का प्रसंस्करण किया जाता है जो इस तरह का काम करती है ;

(ख) गैर-सरकारी एजेंसियां द्वारा कितने टन कचरे का प्रसंस्करण किया जाता है ;

(ग) इस्पात गलन शाप में तथा फेरो स्क्रैप निगम द्वारा प्रसंस्कृत कचरे से किए गए इस्पात के उत्पादन की प्रति टन लागत कितनी है और इस प्रकार उत्पादित इस्पात किस दर पर बेचा जाता है ;

(घ) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने सभी इस्पात संयंत्रों को निदेश जारी किये थे कि या तो वे स्वयं इस पूरे कचरे का प्रसंस्करण करें या इसे फेरो जैसे निगम से करायें, यदि हां, तो इन निदेशों का पालन न किए जाने के लिए भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर और बर्नपुर इस्पात संयंत्र के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री साथ में नागर विमानन मंत्रालय की अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) भिलाई इस्पात कारखाने में वर्ष 1989-90 के दौरान इस्पात का कुल उत्पादन 32.5 लाख मी. टन था । कुल 8.13 लाख मी. टन स्क्रैप उपभोग किया गया और इस आवश्यकता की पूर्ति निम्नलिखित स्रोतों से की गयी थी :—

	लाख मी. टन	प्रतिशतता
1. भिलाई इस्पात कारखाना माल पुनर्प्राप्ति विभाग	4.95	60.9
2. फेरो स्क्रैप निगम लि.	2.51	30.8
3. प्राइवेट एजेंसियां (मेसर्स एम. पी. बिल्डर्स, भिलाई)	0.39	4.77
4. सहायक इस्पात कारखानों से प्रतों आपूर्तियां	0.28	3.52

(ख) प्राइवेट एजेंसियों द्वारा 0.39 लाख मी. टन स्क्रैप प्राप्त किया गया।

(ग) इस्पात तैयार करने में एकत्रित इस्पात कारखाने द्वारा प्रयुक्त विद्यमान प्रौद्योगिकी इस्पात गलन शाला में कुल प्रभार में स्क्रैप की बहुत कम मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रौद्योगिकी से केवल स्क्रैम से ही इस्पात का उत्पादन नहीं हो सकता। अतएव, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड द्वारा संसाधित स्क्रैप से इस्पात का उत्पादन लागत का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी हां। सेल ने अपने नियंत्रणाधीन सभी कारखानों को निजी सुविधाओं अथवा सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों की मार्फत सम्पूर्ण स्क्रैप की प्राप्ति